261
10.04.19

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं. 136–ई/उपमुकाधि/निर्माण/से.नि.पुनःनियु.

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद
दिनांकः 09.04.2019

अधिसूचना

विषय– निर्माण संगठन, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के विभिन्न संवर्ग के पदों से सेवानिवृत्ति हुये कर्मचारियों को कार्य हेतु पारिश्रमिक आधार पर Re-engage किये जाने के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2010/RC-4/6दिनांक 27.09.2017 एवं E(NG)II/2007/RV-IV/Core/1 दिनांक 16.10.2017 के अधार पर निर्माण संगठन, उमरे, इलाहाबाद द्वारा निम्न रिक्तियों हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियो को पारिश्रमिक के आधार पर निर्माण संगठन/उमरे/इलाहाबाद में कार्य करने के लिये संलग्न आवदेन पत्र के प्रारूप में पुनः नियोजन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप अनुलग्नक "क" में दर्शाया गया है:–

रिक्त पदों का विवरण निम्न है–

Category	Gr. Pay	HQ	ALD	CNB	ALJN	AGC-I	AGC-II	GWL	JHS	TOTAL
Helper/Khalasi	1800	04	06	05	03	02	01	04	08	33
Trackman	1800	----	04	06	03	01	01	03	08	26
Total		04	10	11	06	03	02	07	16	59

निर्धारित निम्न शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही पारिश्रमिक पर कार्य हेतु लगाया जायेगा।

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी ही आवेदन के पात्र हैं।
2. पुनर्नियोजित स्टाफ को संरक्षा सम्बन्धी सेवानिवृत्त योजना (LARSGESS) के अधीन सेवानिवृत्त नही होना चाहिए तथा जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लिए हैं/रिमूव/डिसमिस या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किये गये है या प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रहे है वह Re-engage की पात्रता नही रखते है।
3. संबंधित ईकाई से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्माण संगठन की कार्यशैली से परिचित होने के कारण प्राथमिकता दी जायेगी।
4. पुनः नियोजित किए किये सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पालियों में भी प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कार्य करना पड सकता है जिसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार का रात्रिकालीन कार्य भत्ता नही दिया जायेगा।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों पर उनका मूल्यांकन कर्मचारी के पूर्व सेवा रिकार्ड आदि के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्तता/दक्षता उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर पुनर्नियोजित (Re-engage) किया जायेगा।
6. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस पद से सेवानिवृत्त हुए है उन्हे उस समान पद पर Re-engage किया जायेगा।
7. सेवानिवृत्त कर्मचारी को Re-engage करते समय निर्धारित कोटि की मेडिकल परीक्षा पास करनी होगी।
8. पुनर्नियोजन (Re-engage) हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है, और Re-engage के दौरान किसी भी मामले में ऐसे कर्मचारी की आयु अधिकतम सीमा से कम से कम एक साल से कम नहीं होना चाहिए।
9. यह योजना दिनांक 01.12.2019 तक वैध है, उपरोक्त अनुदेशो की वैधता दिनांक 01.12.2019 को समाप्त हो जायेगी, कालान्तर में रेलवे बोर्ड द्वारा अवधि विस्तार किये जाने पर वैधता बढ़ाया जायेगा यदि इस अवधि के अन्दर पर्याप्त संख्या में नियमित कर्मचारी उपलब्ध हो जाते है तो बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोई नोटिस दिए हुये पहले भी समाप्त की जा सकती है।

10. पुनः नियुक्त कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के पत्र E(NG)II/2007/RV-IV/Core/1 दिनांक 16.10.2017 के अनुसार पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जायेगा।

(Monthly remuneration of a retired employee being re-engaged by determined by reducing pension from his/her last pay drawn (i.e. Basic Pay+DA)

11. पुनः नियोजित कर्मचारी सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोई नोटिस दिये हटा दिया जायेगा।
12. पुनर्नियोजित **(Re-engage)** कर्मचारी वर्तमान में इस संबंध में लागू नियम/शर्तों एवं भविष्य में जारी होने वाले रेलवे बोर्ड के निर्देशों से शासित होंगे।
13. अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
14. आवेदन दो प्रतियों में भेजें। सभी सम्बन्धित प्रपत्र रेलवे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
15. यदि कोई इच्छुक कर्मचारी आवेदित पदस्थल (Dy.) के यहां आवेदन करते है तो वहां पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा यदि कर्मचारी अन्य Dy.CEs के यहां भी आवेदन देता है तो उस पर विचार किया जायेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 09.05.2019 तक स्वयं कार्यालय आकर डाक अनुभाग में जमा कर सकते है, या साधारण डाक के माध्यम से नीचे अंकित पते पर भेज सकते है, या सम्बन्धित Dy.CEs के यहां दिनांक 09.05.2019 जमा कर सकते है। दिनांक 09.05.2019 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। **सभी Dy.CEs प्राप्त आवेदन को दिनांक 14.05..2019 तक उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण के यहां अवश्य भेज दें।**

पता– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण कार्यालय
भागीरथी काम्पलैक्स, उ0म0रे0
सूबेदारगंज, इलाहाबाद
उ0प्र0 पिन 211001

(एच.एन. चौधरी)
उप कार्मिक अधिकारी/निर्माण

प्रतिलिपिः–
1. सभी विभागाध्यक्ष उमरे/इलाहाबाद को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
2. मण्डल रेल प्रबन्धक उ.म.रे इलाहाबाद, झांसी, आगरा
3. वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी/इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी
4. उप मुख्य इंजी./निर्माण/आगरा–I, आगरा–II, झांसी–I, झांसी–II, ग्वालियर, अलीगढ, कानपुर, इलाहाबाद, व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
5. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/झांसी/एमएलआर, सिथौली (ग्वालियर)
6. सचिव एनसीआरईएस/एनसीआरएमयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एसोशिएशन उमरे/ इलाहाबाद।
7. सचिव, पेंशनर एसोशिएशन इलाहाबाद, रेलवे क्वार्टर नं. 10 ट्रैफिक कालोनी अपोजिट सीपीआरओ कार्यालय बाल्मिकी चौराहा, नबाब यूसूफ रोड, सिविल लाइन, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सीएमआईटी/उमरे/इलाहाबाद को उक्त अधिसूचना एनसीआर वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
9. सूचना पट्ट।

निर्माण संगठन उत्तर मध्य रेलवे में सेवानिवृत कर्मचारियों को पुनः सेवा में लगाने हेतु आवेदन का प्रारूप

1	कर्मचारी का नाम	
2	पिता/माता का नाम	
3	जन्मतिथि(DD-MM-YYYY)	
4	समुदाय	
5	पदनाम	
6	नियुक्ति की तिथि (DD-MM-YYYY)	
7	पेबेण्ड+जीपी/ पे लेवल (सेवानिवृति के समय)	
8	अंतिम वेतन (अंतिम वेतन पेस्लिप की सत्यापित छायाप्रति)	
9	सेवानिवृति की तिथि (DD-MM-YYYY)	
10	सेवानिवृति का स्वभाव सुपरएनुवेशन /स्वैच्छिक/ कम्पलसरी	
11	सेवानिवृति कार्यालय ईकाई/मण्डल/कारखाना(प्रति संलग्न करें)	
12	पीपीओनं. (पीपीओ की सत्यापित छायाप्रति)	
13	रेलवे पहचान पत्र (पेंशनर)	
14	स्वीकृत बेसिक पेंशन	
15	65 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	
16	शैक्षणिक योग्यता	
17	अवार्ड ,यदि कोई(MR/GM/PHOD/DRM)	
18	अनुशासन एवं अपील के तहत कोई शास्ति, यदि* माइनर मेजर	हॉं/नहीं हॉं/नहीं
19	सेवानिवृति के समय मेडिकलकैटेगरी	
20	Safety/accident related history in service, if any. *	
21	बैंक का नाम , खाता संख्या, आईएफएससी कोड व पता जिसमें भत्ते जाने है	
22	आधार नम्बर	
23	RELHS/Medical card No	
24	वर्तमान पता Pin Code	
25	मोबाईल नं.	
26	ई–मेल	
27	ईकाई जहां पदस्थापना चाहते है	
28	चही गयी ईकाई नहीं मिलने पर दूसरी ईकाई में पदस्थापना चाहते है अथवा नहीं	

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाऐं

नोट: मद संख्या 18, 20, 22 (A) & (B) से संबंधित यदि कोई मामला है तो उसका विवरण संलग्न करें।
सभी सम्बन्धित प्रपत्र रेलवे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

घोषणा:

1. I, the undersigned, do hereby solemnly affirm and declare that the particulars furnished above are true and correct. I shall be held responsible for submission of any wrong and/ or incorrect information and that my engagement may be terminated for this wrongful act.
2. I am willing for re-engagement subject to the terms and condition enumerated in Railway Board's letter no. E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1 dated 16.10.2017.
3. I am aware of that services are liable to be discharge at any time due to unsatisfactory performance or due to receipt of fresh panel from RRB/RRC, without any notice.
4. I am herewith enclosing photocopy of my service certificate & PPO.
5. I agree with all the terms and conditions of re-engagement.
6. The re-engagement can be terminated by giving 07 days notice without any explanation or any reason.

Date:

Place: **Signature of the retd.**

Employee

CM/JT